UPRB010041102026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1771/2026

1. गौतम उम्र लगभग 21 वर्ष, पुत्र राम दुलारे निवासी ग्राम विष्णुपुर थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली।

....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1814/2026

2. शोभित पटेल उम्र 22 वर्ष पुत्र देशराज पटेल, निवासी ग्राम पूरे गोसाई का पुरवा, मजरे ममुनी, थाना सलेन, जिला रायबरेली।

....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–18412026

3. फूलराज उम्र 30 वर्ष, पुत्र रामधनी निवासी ग्राम पूरे गोसाई का पुरवा मजरे मुनी थाना सलोन, जिला रायबरेली।

....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

03–07–2026

उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या व घटना से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूलतः जमानत आदेश, जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1771/2026, गौतम प्रति उ०प्र०सरकार पर पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश की प्रति शेष जमानत प्रार्थनापत्र पर रखी जायेंगी।

आवेदक–अभियुक्तगण **गौतम, शोभित पटेल** एवं **फूलराज** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत एस०टी०नं० **646/2026**, अपराध संख्या **45/2026**, धारा–**61(2)(A),103(1),3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली**, के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– प्रार्थिनी/वादिनी सपना के पति मोहित दिनाँक 12.02.2026 को समय दोपहर एक बजे अपनी मोटर साइकिल UP 33 CC 0217 से प्रार्थिनी को उसके मायके पूरे बैसन मजरे जिंगना थाना जगतपुर जिला रायबरेली के लिए निकला था परन्तु 3 बजे तक नहीं पहुँचा तो प्रार्थिनी अपने पति के दोस्त शिवा को फोन किया तो कोई

संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला उसके बाद प्रार्थिनी ने फूलराज पुत्र रामधनी को फोन किया तो भी कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला। विपक्षीगण शोभित , फूलराज व शिवा, मिथुन उपरोक्त के द्वारा पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत प्रार्थिनी के पति की हत्या कर दी गयी है। प्रार्थिनी के पति का मोबाइल फोन व करीब 10 हजार रुपये दिनांक 02–02–2026 को विपक्षीगण द्वारा छीन लिया गया था। श्रीमान् जी को यह भी अवगत हो कि सोभित द्वारा प्रार्थिनी को फोन पर यह धमकी दी गयी है कि तुम्हारे पति की लाश गायब करवा देंगे। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि प्रार्थिनी की प्राथमिकी दर्ज कराने की कृपा करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्णरूप से निर्दोष है, उसे गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से पंजीकृत करायी गयी है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक मोहित को नशे की बुरी लत थी। अभियोजक कथानक स्वयं के कथानो में विरोधाभाष है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नही है, कथित घटना से प्रार्थी/अभियुक्तगण कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है और उसके कब्जे से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जनक वस्तु व आलाकत्ल बरामद नही हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई भी अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 20–02–2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी विश्वनीय जमानते देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगें। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण है। उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है तथा दौरान विवेचना विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्य से कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता पायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्त शिवा पटेल का जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 18–06–2026 से निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध भी समान अभियोग है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में गांव का होने के कारण झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि मृतक व वादिनी के वैवाहिक सम्बन्ध अच्छे नही थे और वादिनी के पास अन्य लोगों के आने जाने पर मृतक का अपनी पत्नी से विवाद रहता था और मोबाइल व दस हजार रूपये छीन लिये जाने

के बाबत कोई शिकायत दर्ज कराया जाना व अन्य कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नही होता है और न ही ऐसा कोई अभिकथिन ही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी के पति का शव बरामद होने के उपरान्त अत्यधिक देरी से दर्ज करायी गयी है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का, प्रश्नगत प्रकरण में संलिप्तता का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। वादिनी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखायी गयी थी।

जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा लिए गए बचाव का प्रश्न है, वादिनी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य नामित अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति का मोबाइल फोन व दस हजार रूपये दिनांक 02–02–2026 को छीन लिया जाना और उसके पति को जान से मरवा कर लाश गायब करवा देने की धमकी नामित अभियुक्तगण शोभित, फूलराज, मिथुन, शिवा व गौतम द्वारा दिये जाना अभिकथित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। और अभी तक एकत्र साक्ष्य से मृतक को प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगण के साथ आखिरी बार देखे जाने की पुष्टि जगबहादुर व रामदास के बयानों से होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण पानी से डूबने का होना दर्शाया गया है, परन्तु मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की चार चोटें भी पाये जाने की पुष्टि होती है। नामित सह अभियुक्तगण मिथुन का जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायाल के आदेश दिनांकित 31–03–2026 से एवं सह अभियुक्त शिवा पटेल का जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 18–06–2026 से निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध भी समान अभियोग है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक–अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार नही पाये जाते है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्तगण **गौतम, शोभित पटेल** एवं **फूलराज** की ओर से एस०टी०नं० **646/2026,** अपराध संख्या **45/2026**, धारा–**61(2)(A), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाते है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
03–07–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.03 15:18:20 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli